

सेवा में,

महाराष्ट्र श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
श्रीती गिहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुसूच

संख्या: दिनांक: 30 जून, 2008

विषय :- शिक्षाव संचालित स्कूल, बरिवाला, खनिधाबाद को सी०बी०एच०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनादीत प्रमाण पत्र दिया जाये।

साहोदर,

उपरोक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संबद्धित विद्यालय को सी०बी०एच०ई० नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनादीत प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अर्थात् आपसी नती है:-

- (1) विद्यालय की परीक्षित सोसायटी का सन्तुष्ट-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रथम स्थिति में शिक्षा निदेशक द्वारा व्यक्ति एक सदस्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद/ केन्द्रीय शिक्षा परिषद द्वारा संबद्धित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेट्टल बोर्ड ऑफ़ सेलेक्टेड एजुकेशन नई दिल्ली/बोर्ड ऑफ़ दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इन्फ़ार्मेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों में संबद्धता प्राप्त होने की शर्त से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः सम्पन्न हो जायेगा।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षण कर्मचारियों का राजस्वीय महाकाय प्रिन्सिपल संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूच वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्तें बहाली जायेगी और उन्हें सम्बद्धता प्राप्त अनादीत उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुसूच सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पत्रिकाओं में रखा जायेगा।
- (9) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की घूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाश्रित प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव।

प्रसंख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक(पाठ), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद।
- 4- निरीक्षक, आन्तर भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- ✓ 5- प्रबंधक, शिवाय पब्लिक स्कूल, मटियाला, गाजियाबाद।
- 6- गार्ड फाइल।

आता से,

27/2/21
(ममता श्रीवास्तव)

उप सचिव।